

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
छठवीं मंजिल सतपुडा भवन भोपाल
दूरभाष क्रमांक 0755-2551719, 2550186
ई-मेल Email Id dme12001@yahoo.com

संयुक्त राज्य स्तरीय एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0 काउंसिलिंग कार्यक्रम
(संशोधित कार्यक्रम)-2, नीट-यू0जी0 2016

दिनांक 04 / 10 / 2016

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आई.ए. डब्ल्यू पी 76/2015 में पारित आदेश दिनांक 03/10/2016 के परिपालन में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा (तृतीय चरण) एवं निजी चिकित्सा /दंत चिकित्सा की (द्वितीय चरण) की काउंसिलिंग दिनांक 04/10/2016 से दिनांक 07/10/2016 तक एम0पी0 ऑनलाईन के माध्यम से कराई जाएगी।

इस चरण में भाग लेने के लिए इच्छुक एवं पात्र प्रत्येक अभ्यर्थी को फ्रेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है। जिसके बिना किसी भी अभ्यर्थी को सीट आवंटन अथवा अपग्रेडेशन नहीं हो सकेगा।

काउंसिलिंग के इस चरण का विस्तृत कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्रमांक	कार्यक्रम	दिनांक	दिवस
1	<u>च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग</u> 1. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित है यदि अपग्रेडेशन चाहते है तो उन्हें फ्रेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है। 2. सभी एम.पी. ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में सीट आवंटन नहीं हुआ उन्हें फ्रेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। 3. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग के चरणों में सीट का आवंटन हुआ था परन्तु उनके द्वारा उस आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया, ऐसे अभ्यर्थियों को भी फ्रेश च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य है।	04.10.2016 को 15 Hrs. से 23:59 Hrs. तक	लगभग 09 घण्टे



	4. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेशित संस्था में अपने मूल दस्तावेज एवं फीस जमा कर दी है परन्तु उनका किसी कारणवश कम्प्यूटराईज ऑनलाईन प्रवेश पत्र (admission slip) जारी नहीं हुआ है उनको अप्रवेशित माना गया है। अतः उन्हें भी फेश च्वाईस फिलिंग करना अनिवार्य है।		
2	अलॉटमेंट प्रक्रिया एवं आलॉटमेंट परिणाम	05.10.2016 को 01.00 Hrs. से 05.10.2016 के 23:59 Hrs. तक	लगभग 23 घंटे
3	केन्द्रीयकृत मूल दस्तावेजों की स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में	06.10.2016 को 08:00 Hrs. से 07.10.2016 को 17:00 Hrs. तक	

इस चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न अभ्यर्थी पात्र होंगे :-

- एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में सीट आवंटित हुई थी परन्तु उन्होंने उस आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया था।
- एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई थी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में शासकीय/निजी महाविद्यालय में सीट आवंटित हुई थी एवं उनके द्वारा अपग्रेडेशन का विकल्प दिया गया है।
- निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की अनारक्षित श्रेणी की सीटों के आवंटन के लिए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने की बाध्यता नहीं है।

इस चरण की काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए निम्न अभ्यर्थी अपात्र होंगे :-

- एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित एवं सेटिसफाईड (satisfied) अभ्यर्थी।



ब) एम0पी0 आनलाईन में रजिस्टर्ड पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेशित परन्तु फेश च्वाइस फिलिंग न करने वाले अभ्यर्थी ।

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हीं सीटों की च्वाइस फिलिंग भरें जिस पर वह प्रवेश लेने के इच्छुक है। आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।
2. पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश के समय जिन अभ्यर्थियों ने सेटिसफाईड (satisfied) का ऑप्शन दिया था उनकी प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।
3. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए फेश च्वाइस फिलिंग नहीं की है उनकी पूर्व प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।
4. ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन के लिए फेश च्वाइस फिलिंग करते हैं अपग्रेडेशन में चाही गई सीट यदि इस काउंसिलिंग प्रक्रिया में नहीं मिलती है, तो उनकी पूर्व प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की ऑफ लाईन प्रक्रिया:-

(दिनांक 07.10.2016 को सायं काल 6:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक)

इस चरण में अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता निम्नानुसार होगी :-

पात्र अभ्यर्थी -

ऐसे समस्त एम0पी0 ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग नीट यू0जी0-2016 से मध्यप्रदेश के शासकीय/निजी चिकित्सा अथवा दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया है।

अपात्र अभ्यर्थी -

ऐसे समस्त एम0पी0 ऑनलाईन रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेशित है।



नोट :-

- 1) आफलाईन काउंसिलिंग एम0पी0 ऑनलाईन रजिस्टर्ड डोमेसाईल एवं नॉन डोमेसाईल अभ्यर्थियों की कॉमन मैरिट लिस्ट से की जाएगी।
- 2) ऐसे सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी जो आफलाईन काउंसिलिंग में अपनी पात्रता एवं मैरिट के अनुसार आवंटन एवं प्रवेश चाहते हैं उन्हें काउंसिलिंग स्थल पर अपने मूल दस्तावेजों एवं संबंधित संस्था की निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी को आवंटन नहीं दिया जावेगा।



संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश